

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जी०सी०एम०एस० – 2020 / 00066

राजस्व वाद संख्या 28 / 2020

1. बाबूलाल
2. सीताराम
3. शंकर
4. ओमप्रकाश
5. नेमीचन्द
6. कैलाश

समस्त पत्रान हुक्मा कुम्हार (प्रजापति), निवासीयान-खोराश्यामदास
ढाणी, बदनपुरा, नली पार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

— — — वादीगण

बनाम

1. रामदेव
1 / 1 फूलचन्द पुत्र रामदेव
1 / 2 रमेशचन्द पुत्र रामदेव
1 / 3 लालचन्द पुत्र रामदेव
1 / 4 सोहनलाल पुत्र रामदेव
1 / 5 बजरंगलाल पुत्र रामदेव
1 / 6 गोदी देवी पत्नि रामदेव
1 / 7 सुप्यार देवी पुत्री रामदेव
1 / 8 सुर्जानी देवी पुत्री रामदेव
1 / 9 प्रेम देवी पुत्री रामदेव
1 / 10 गुड्डी देवी पुत्री रामदेव
1 / 11 हंसा देवी पुत्री रामदेव
1 / 12 नीमा देवी पुत्री रामदेव
1 / 13 सीमा देवी पुत्री रामदेव

2. लक्ष्मण

पुत्रान धाना, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासीयान- खोराश्यामदास
ढाणी, बदनपुरा, नली पार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3. तहसीलदार जी आमेर, जिला जयपुर।
4. रजिस्ट्रार मुद्रांक विभाग आमेर जिला जयपुर।

— — — प्रतिवादीगण

**दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

निर्णय

दिनांक :-03.06.2022

वादीगण ने वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप में इस आशय का पेश किया है कि आराजी कृषि भूमि ग्राम खोराश्यामदास एवं बदनुपरा, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि हाल जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 (वर्ष 2019) के अंकित अनुसार ख०नं० 122 रकबा 0.0500, ख०नं० 123 रकबा 1.5400, ख०नं० 124 रकबा 0.0154, ख०नं० 126/1835 रकबा 0.0400, ख०नं० 154 रकबा 0.1000, ख०नं० 155 रकबा 0.2600, ख०नं० 156 रकबा 0.3000, ख०नं० 167/1838 रकबा 0.0600, ख०नं० 184 रकबा 0.6700, ख०नं० 185 रकबा 0.2800, ख०नं० 186 रकबा 0.5700, ख०नं० 187 रकबा 0.1800, ख०नं० 188 रकबा 0.2800, ख०नं० 189 रकबा 0.5500, ख०नं० 190 रकबा 0.7200, ख०नं० 191 रकबा 0.4000, ख०नं० 192 रकबा 0.1600, ख०नं० 193 रकबा 0.1300, ख०नं० 194 रकबा 0.1300, कुल किता ख०नं० 19, कुल रकबा 7.9600 एवं ग्राम बदनपुरा के ख०नं० 289 रकबा 0.2400, ख०नं० 290 रकबा 0.2900, ख०नं० 291 रकबा 0.2800, ख०नं० 292 रकबा 0.0900, ख०नं० 293 रकबा 0.0300, ख०नं० 294 रकबा 0.1900, ख०नं० 295 रकबा 0.2900, ख०नं० 296 रकबा 0.0800, ख०नं० 297 रकबा 0.0400, ख०नं० 298 रकबा 0.9200, ख०नं० 300 रकबा 0.7400 कुल किता 11 रकबा 3.19 हैक्टे० है। जिसमें जमाबंदी अनुसार हिस्सेदारी है। जिनमें से खोराश्यामदास में वादीगण ख०नं० 122, 123 154, 184, 187, 190 से 194 तक एवं ग्राम बदनपुरा के ख०नं० 294, 295, 296, 297, 298, पर व ख०नं० 300 व 293 के आधे भाग पर मनबट के अनुसार अर्से पूर्व से काबिज चले आ रहे है एवं प्रतिवादी शेष खसरा नम्बरान पर अवस्थित चले आ रहे है।

उक्त भूमि जमाबंदी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 की थी एवं जमाबंदी अनुसार ही उनका शेयर था एवं वादीगण का मकान बना हुआ है एवं पूर्व से ही मनबट के अनुसार नम्बर अनुसार जमीन पर काबिज न होकर मनबट के अनुसार रह रहे है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान के संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि होने से वादीगण अपने हिस्से के विशिष्ट भू-भाग पर अपनी इच्छानुसार इम्प्रवमेन्ट (विकास) न ही कर पा रहा है प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर वादी के हिस्से की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा रकने पर आमादा रहते है वादी का संयुक्त व अविभाति भूमि पर काश्त करना व उसका विकास करना कठिन हो गया है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 से दिनांक 13.07.2020 को सम्पर्क कर सहमति के

आधार पर तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर भूमि वादग्रस्त का वैधानिक विभाजन करवाकर खाते को पृथक-पृथक करवाने का अनुरोध किया जिस पर प्रतिवादीगण ने साफ इंकार कर दिया व कहा कि हम तो हमारे हिस्से की भूमि पर कदीम से काबिज काश्त हैं। हमें किसी बंटवारे/विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको भूमि वादग्रस्त का विभाजन करवाना है तो करवा ले।

अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवदेन है कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त भूमि ग्राम खोराश्यामदास, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि हाल जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 (वर्ष 2019) के अंकित अनुसार ख०नं० 122 रकबा 0.0500, ख०नं० 123 रकबा 1.5400, ख०नं० 124 रकबा 0.0154, ख०नं० 126/1835 रकबा 0.0400, ख०नं० 154 रकबा 0.1000, ख०नं० 155 रकबा 0.2600, ख०नं० 156 रकबा 0.3000, ख०नं० 167/1838 रकबा 0.0600, ख०नं० 184 रकबा 0.6700, ख०नं० 185 रकबा 0.2800, ख०नं० 186 रकबा 0.5700, ख०नं० 187 रकबा 0.1800, ख०नं० 188 रकबा 0.2800, ख०नं० 189 रकबा 0.5500, ख०नं० 190 रकबा 0.7200, ख०नं० 191 रकबा 0.4000, ख०नं० 192 रकबा 0.1600, ख०नं० 193 रकबा 0.1300, ख०नं० 194 रकबा 0.1300, कुल कित्ता ख०नं० 19, कुल रकबा 7.9600 एवं ग्राम बदनपुरा के ख०नं० 289 रकबा 0.2400, ख०नं० 290 रकबा 0.2900, ख०नं० 291 रकबा 0.2800, ख०नं० 292 रकबा 0.0900, ख०नं० 293 रकबा 0.0300, ख०नं० 294 रकबा 0.1900, ख०नं० 295 रकबा 0.2900, ख०नं० 296 रकबा 0.0800, ख०नं० 297 रकबा 0.0400, ख०नं० 298 रकबा 0.9200, ख०नं० 300 रकबा 0.7400 कुल कित्ता 11 रकबा 3.19 हैक्टे० के बिना बटे हकदार खातेदार काश्तकार थे का मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर जमाबंदी अनुसार वादीगण का हिस्सा पृथक किया जाकर खाता कायम किया जावे।

वादी को विभाजन के पयचात मिली भूमि के लिये प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 को जरिये निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादी के तन्हा हिस्से खाते व कब्जेकाश्त कर भूमि पर उसके हिस्से व कब्जे काश्त तथा भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व हस्तक्षेप न स्वयं करे न अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट तथा अपने परिवाजन से करावे। वादग्रस्त सम्पत्ति में संयुक्त रास्ता भी कायम किया जावे जिससे किसी भी पक्ष द्वारा आपस में रास्ते हेतु विवाद उत्पन्न ना हो। प्रतिवादी सं० 3 व 4 को पाबंद फरमाया जावे कि वह किसी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन व अंकन नहीं किया जावे।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 2 की ओर से अधिवक्ता सुरेश कुमार

चाहर ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण सं० 3 व 4 का नोटिस तामिल होकर प्राप्त। प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 की ओर से जवाब वाद पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली को प्रशासन गांवों के संग अभियान खोराश्यामदास दिनांक 24.11.2021 में सुनवाई हेतु चिन्हित किया गया। अभियान में वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित व प्रतिवादीगण सं० 2 उपस्थित हुये। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षकारान को सुना गया। विवादित भूमि ग्राम ग्राम खोराश्यामदास, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि हाल जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 (वर्ष 2019) के अंकित अनुसार ख०नं० 122 रकबा 0.0500, ख०नं० 123 रकबा 1.5400, ख०नं० 124 रकबा 0.0154, ख०नं० 126/1835 रकबा 0.0400, ख०नं० 154 रकबा 0.1000, ख०नं० 155 रकबा 0.2600, ख०नं० 156 रकबा 0.3000, ख०नं० 167/1838 रकबा 0.0600, ख०नं० 184 रकबा 0.6700, ख०नं० 185 रकबा 0.2800, ख०नं० 186 रकबा 0.5700, ख०नं० 187 रकबा 0.1800, ख०नं० 188 रकबा 0.2800, ख०नं० 189 रकबा 0.5500, ख०नं० 190 रकबा 0.7200, ख०नं० 191 रकबा 0.4000, ख०नं० 192 रकबा 0.1600, ख०नं० 193 रकबा 0.1300, ख०नं० 194 रकबा 0.1300, कुल किता ख०नं० 19, कुल रकबा 7.9600 एवं ग्राम बदनपुरा के ख०नं० 289 रकबा 0.2400, ख०नं० 290 रकबा 0.2900, ख०नं० 291 रकबा 0.2800, ख०नं० 292 रकबा 0.0900, ख०नं० 293 रकबा 0.0300, ख०नं० 294 रकबा 0.1900, ख०नं० 295 रकबा 0.2900, ख०नं० 296 रकबा 0.0800, ख०नं० 297 रकबा 0.0400, ख०नं० 298 रकबा 0.9200, ख०नं० 300 रकबा 0.7400 कुल किता 11 रकबा 3.19 हैक्टे० का बाई मीण्ट्स एवं बाउण्डस के आधार पर राजस्थान टीनेक्सी एक्ट 1956 के नियम 18 से 21 (राजस्व मंडल) की पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारों का दर्ज हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार आमेर को दिनांक 24.11.2022 को निर्देशित किया गया।

उक्त आदेश कि पालना में तहसीलदार के पत्र क्रमांक/एल.आर./2022/1268 दिनांक 03.06.2022 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाये गये जो दिनांक 03.06.2022 को शामिल पत्रावली किये गये तथा दिनांक 03.06.2022 को पक्षकारान को बाबत कुर्रेजात रिपोर्ट सुनी गया। दौराने दावा प्रतिवादीगण संख्या 1 रामदेव फौत हो गया एवं उसके समस्त वारिसानों ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति प्रदान की। पक्षकारान ने दौराने बहस कुर्रेजात रिपोर्ट को सही होना अवगत कराते हुए विभाजन करने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद न्याय हित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विवादित भूमि ग्राम खोराश्यामदास, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित

कृषि भूमि हाल जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 (वर्ष 2019) के अंकित अनुसार ख०नं० 122 रकबा 0.0500, ख०नं० 123 रकबा 1.5400, ख०नं० 124 रकबा 0.0154, ख०नं० 126/1835 रकबा 0.0400, ख०नं० 154 रकबा 0.1000, ख०नं० 155 रकबा 0.2600, ख०नं० 156 रकबा 0.3000, ख०नं० 167/1838 रकबा 0.0600, ख०नं० 184 रकबा 0.6700, ख०नं० 185 रकबा 0.2800, ख०नं० 186 रकबा 0.5700, ख०नं० 187 रकबा 0.1800, ख०नं० 188 रकबा 0.2800, ख०नं० 189 रकबा 0.5500, ख०नं० 190 रकबा 0.7200, ख०नं० 191 रकबा 0.4000, ख०नं० 192 रकबा 0.1600, ख०नं० 193 रकबा 0.1300, ख०नं० 194 रकबा 0.1300, कुल किता ख०नं० 19, कुल रकबा 7.9600 एवं ग्राम बदनपुरा के ख०नं० 289 रकबा 0.2400, ख०नं० 290 रकबा 0.2900, ख०नं० 291 रकबा 0.2800, ख०नं० 292 रकबा 0.0900, ख०नं० 293 रकबा 0.0300, ख०नं० 294 रकबा 0.1900, ख०नं० 295 रकबा 0.2900, ख०नं० 296 रकबा 0.0800, ख०नं० 297 रकबा 0.0400, ख०नं० 298 रकबा 0.9200, ख०नं० 300 रकबा 0.7400 कुल किता 11 रकबा 3.19 हैक्टे० भूमि का निम्नप्रकार विभाजन किया जाता है:—

प्रस्तावित रिपोर्ट (ग्राम बदनपुरा)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लिद्यत	ख.नं.	रकबा (है० में)
1.	ओमप्रकाश पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम हिस्सा 1/6, कैलाश पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम हि० 1/6, नेमीचन्द पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम हि० 1/6, बाबूलाल पुत्र हुक्माराम हि० 1/6, शंकरलाल पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम 1/6, श्रवणलाल पुत्र सीताराम हि० 1/18, सुशीला पुत्री सीताराम हि० 1/18, रेखा पुत्री सीताराम हि० 1/18, समस्त जातियान कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार	293 294 295 296 297 298/1 300/1	0.0300 0.1900 0.2900 0.0800 0.0400 0.8884 0.4085
	कुल किता	किता-7	1.9269
2.	गोदी देवी पत्नी रामदेव हि० 1/26, लालचन्द पुत्र रामदेव हि० 1/26, सोहनलाल पुत्र रामदेव हि० 1/26, रमेशचन्द पुत्र रामदेव हि० 1/26, फूलचन्द पुत्र रामदेव हि० 1/26, बजरंगलाल पुत्र रामदेव हि० 1/26, सुप्यार देवी पुत्री रामदेव हि० 1/26, सुर्जानी देवी पुत्री रामदेव हि० 1/26, प्रेम देवी पुत्री रामदेव हि० 1/26, गुड्डी देवी पुत्री रामदेव हि० 1/26, हंसा देवी पुत्री रामदेव हि० 1/26, नीमा देवी पुत्री रामदेव हि० 1/26, सीमा देवी पुत्री रामदेव हि० 1/26, लिछमन पुत्र धानिया उर्फ धाना हि० 1/2 समस्त जातियान	289 290 291/1 292/1 300/2	0.2400 0.2900 0.2314 0.0554 0.3316

	कुम्हार(प्रजापति) सा० देह खातेदार		
	कुल किता	किता-5	1.1484
3.	ओमप्रकाश पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम 1/12, कैलाश पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम 1/12, नेमीचन्द पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम हि० 1/12, बाबूलाल पुत्र हुक्माराम हि० 1/12, शंकरलाल पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम 1/12, श्रवणलाल पुत्र सीताराम हि० 1/36, रेखा पुत्री सीताराम हि० 1/36, गोदी देवी पत्नी रामदेव हि० 1/52, लालचन्द पुत्र रामदेवी हि० 1/52, सोहनलाल पुत्र रामदेव हि० 1/52, रमेशचन्द पुत्र रामदेव हि० 1/52, फूलचन्द पुत्र रामदेव हि० 1/52, बजरंगलाल पुत्र रामदेव हि० 1/52, सुप्यार देवी पुत्री रामदेव हि० 1/52, सुर्जानी देवी पुत्री रामदेव हि० 1/52, प्रेम देवी पुत्री रामदेव हि० 1/52, गुड्डी देवी पुत्री रामदेव हि० 1/52, हंसा देवी पुत्री रामदेव हि० 1/52, नीमा देवी पुत्री रामदेव हि० 1/52, सीमा देवी पुत्री रामदेव हि० 1/52, लिछमन पुत्र धानिया उर्फ धाना हि० 1/4, समस्त जातियान कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार	291/2 292/2 298/8	0.0486 0.0346 0.0315
	योग	किता-3	0.1147
	कुल किता	15	3.19 है०

प्रस्तावित रिपोर्ट (ग्राम खोराश्यामदास)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत	ख.नं.	रकबा (है० में)
1.	ओमप्रकाश पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम हिस्सा 1/6, कैलाश पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम हि० 1/6, नेमीचन्द पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम हि० 1/6, बाबूलाल पुत्र हुक्माराम हि० 1/6, शंकरलाल पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम 1/6, श्रवणलाल पुत्र सीताराम हि० 1/18, सुशीला पुत्री सीताराम हि० 1/18, रेखा पुत्री सीताराम हि० 1/18, समस्त जातियान कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार	122 123/1 154 184/1 187 188/3 190/1 192 193 194	0.0500 1.4946 0.1000 0.5056 0.1800 0.0296 0.6926 0.1600 0.1300 0.1300
	कुल किता	किता-10	3.4724
2.	गोदी देवी पत्नी रामदेव हि० 1/26, लालचन्द पुत्र रामदेव हि० 1/26, सोहनलाल पुत्र रामदेव हि० 1/26, रमेशचन्द पुत्र रामदेव हि० 1/26, फूलचन्द पुत्र रामदेव हि० 1/26, बजरंगलाल पुत्र रामदेव हि० 1/26, सुप्यार देवी पुत्री रामदेव हि० 1/26, सुर्जानी देवी पुत्री रामदेव हि० 1/26, प्रेम देवी	124 126/1835 167/1838 155 156	1.5400 0.0400 0.0600 0.2600 0.3000

	पुत्री रामदेव हि० 1/26, गुड्डी देवी पुत्री रामदेव हि० 1/26, हंसा देवी पुत्री रामदेव हि० 1/26, नीमा देवी पुत्री रामदेव हि० 1/26, सीमा देवी पुत्री रामदेव हि० 1/26, लिछमन पुत्र धानिया उर्फ धाना हि० 1/2 समस्त जातियान कुम्हार(प्रजापति) सा० देह खातेदार	185 186 188/1 189/1 191/1 184/1	0.2800 0.5700 0.2267 0.5229 0.3747 0.0766
	कुल किता	किता-11	4.2509
3.	ओमप्रकाश पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम 1/12, कैलाश पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम 1/12, नेमीचन्द पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम हि० 1/12, बाबूलाल पुत्र हुक्माराम हि० 1/12, शंकरलाल पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम 1/12, श्रवणलाल पुत्र सीताराम हि० 1/36, रेखा पुत्री सीताराम हि० 1/36, गोदी देवी पत्नी रामदेव हि० 1/52, लालचन्द पुत्र रामदेवी हि० 1/52, सोहनलाल पुत्र रामदेव हि० 1/52, रमेशचन्द पुत्र रामदेव हि० 1/52, फूलचन्द पुत्र रामदेव हि० 1/52, बजरंगलाल पुत्र रामदेव हि० 1/52, सुप्यार देवी पुत्री रामदेव हि० 1/52, सुर्जानी देवी पुत्री रामदेव हि० 1/52, प्रेम देवी पुत्री रामदेव हि० 1/52, गुड्डी देवी पुत्री रामदेव हि० 1/52, हंसा देवी पुत्री रामदेव हि० 1/52, नीमा देवी पुत्री रामदेव हि० 1/52, सीमा देवी पुत्री रामदेव हि० 1/52, लिछमन पुत्र धानिया उर्फ धाना हि० 1/4, समस्त जातियान कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार	123/2 184/2 189/2 188/2 190/2 191/2	0.0454 0.0878 0.0271 0.0237 0.0274 0.0253
	योग	किता-6	0.2367
	कुल किता	26	7.9600

उपतहसीलदार रामपुरा डाबड़ी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विभाजन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करें। कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय के जूज रहेंगे। अंतिम डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 03.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।